राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
जिला–बाड़मेर

प्रार्थीनी	**विप्रार्थीगण**
1. जरीना पुत्री अस्तुला फौत के कायम मुकाम 1/1 सुखनी पुत्री जरीना पत्नी सद्दाम जाति मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. मुमताज अली पुत्र अस्तुला 2. जाफरला पुत्र मुमताज 3. मोहमद रहीम पुत्र मुमताज अली 4. मोहमदरफीक पुत्र मुमताज अली 5. जेबल पुत्री अस्तुला 6. बेगम पुत्री अस्तुला 7. जरीना पुत्री अस्तुला फौत के कायम मुकाम 7/1 अजरुदीन पुत्र जरीना 7/2 नवाब पुत्र जरीना 7/3 रजाक पुत्र जरीना 7/4 हिदा पुत्री जरीना 7/5 सोनीया पुत्री जरीना 7/6 रबीना पुत्री जरीना 7/7 रमजाना पुत्री जरीना जातियान मुसलमान निवासीगण बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 8. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 212 /2025

08/07/25 प्रार्थीनी जरीना पुत्री अस्तुला फौत के कायम मुकाम सुखनी पुत्री जरीना पत्नी सद्दाम जाति मुसलमान निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री श्रीराम विश्नोई** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा जानपालिया पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. सारला के नया खाता संख्या 114 के खसरा संख्या 264 रकबा 15–7099 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व मौजा बीसासर पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के खाता संख्या नया 123, खसरा संख्या 46 रकबा 5–8598 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीनी की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा जानपालिया पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. सारला के नया खाता संख्या 114 के खसरा संख्या 264 रकबा 15–7099 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व मौजा बीसासर पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के खाता संख्या नया 123, खसरा संख्या 46 रकबा 5–8598 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें, तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीनी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 26/08/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

25/07/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी वकील उपस्थित। प्रार्थीनी स्वयं उपस्थित। प्रार्थीनी के निवेदन पर पत्रावली पे[illegible] ली गई। चूंकि मूलवाद को जरिए [illegible] , तो इस आवेदन को आगे चलाने का [illegible] नहीं है। अतः इस आवेदन की कार्यवाही इसी [illegible] पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के संलग्न हो।

सुखनी
(प्रार्थीनी)

25/07/2025
वकील प्रार्थीनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:49:39 IST
Reason: SelfAttested